न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 03/56/2019 ऑनलाईन नम्बर–2023/38 प्रवेश तिथि–10.01.2023

1. प्रभाती लाल मीना पुत्र नरसी मीना जाति मीना उम्र 71 वर्ष निवासी ग्राम बडला तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर। जरिये मुख्त्यार खास मुराली लाल मीना पुत्र प्रभाती लाल मीना उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बडला तहसील राजगढ जिला अलवर।

..... प्रार्थी

बनाम्

1. कंचन पुत्र रामसहाय मीना जाति मीना।
2. कल्यान पुत्र रामसहाय मीना जाति मीना।,
3. फाबूली पत्नी रामसहाय मीना जाति मीना।
4. अनोखी पुत्र रामसहाय मीना जाति मीना।
5. आशा पुत्री बाबूलाल मीना जाति मीना।
6. प्रदीप पुत्र बाबूलाल मीना जाति मीना।
7. धमेन्द्र पुत्र बाबूलाल मीना जाति मीना।
8. बत्तो देवी पत्नी बाबूलाल मीना जाति मीना।
9. कौशल्या पुत्री मोहनलाल मीना जाति मीना।
10. रामसिंह पुत्र मोहनलाल मीना जाति मीना।
11. विजेन्द्र पुत्र मोहनलाल मीना जाति मीना।
12. सन्तरा पुत्री मोहनलाल मीना जाति मीना।
13. सोमा पुत्र मोहन लाल मीना जाति मीना।
14. हरली पत्नी मोहनलाल मीना जाति मीना।
15. गंगासहाय पुत्र चन्द मीना जाति मीना **(मृतक हजफ)**।
16. फूली पुत्री भोल्या मीना जाति मीना।
17. विश्राम पुत्र भोल्या मीना जाति मीना।
18. मन्नो पुत्र भोल्या मीना जाति मीना।
19. हन्सो पुत्री भोल्या मीना जाति मीना।
20. रामप्रताप पुत्र भौरा मीना जाति मीना समस्त निवासीयान ग्राम बडला तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी 1955
अन्तर्गत धारा 251–'क'
उपस्थित– श्री दिपक कुमार जैमन एड0–प्रार्थी

–:निर्णयः– **दिनांक 19/01/2026**

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा खाता संख्या 62 खसरा संख्या 220/0.45, 221/0.01 है0 वाके ग्राम बडला तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 213/0.05, 214/0.03, 215/0.06, 337/648/0.06, 337/649/0.04, कुल किता 5 कुल रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम बडला तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। जिसमें से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 337/649/0.04, 213/0.05. के तरफ पश्चिम की ओर से 30 फिट चोडा 50 लम्बा रास्ता प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 220/0.45 है0 वाके ग्राम बडला तहसील टहला जिला अलवर पर पहुचने के लिए रास्ता मौके पर दिलवाया जाने का

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

निवेदन किया। और उक्त वर्णित खसरा संख्यान में होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आजे जाते रहे है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी अब प्रार्थी को उक्त वर्णित रास्ते से आने जाने नही देते है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर खसरा संख्या 337/649/0.04, 213/0.05. के तरफ पश्चिम में से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 220/0.45 है0 तक प्रार्थी को आराजी पर आमद रफद, हल बैल, टैक्टर कृषि उपज हेतु 30 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 व16 लगायत 20 बाद सुचना तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 15 का नाम हजफ/डिलीट किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार टहला जिला अलवर से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2023/5016 दिनांक 21.11.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। जो शामिल पत्रावली है।

3. बहस वकील प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया मात्र एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुचने हेतु खसरा संख्या 337/649/0.04, 213/0.05. वाके ग्राम बडला के तरफ पश्चिम में होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 220/0.45 है0 तक 30 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व धारा 251–'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भुमि को धारित करता, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह स कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये , भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूठ से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रिति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

(1) जहाँ–उपधारा (1) के अधिन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहा ऐसे मार्ग को समाविष्ठ करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिग्रति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee \| constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee ; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure,] the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त धारा 251–क दो पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो है–

1 खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।

2 खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य विकल्प की अनुपस्थिति।

3 खातेदार जिस रास्ते की मांग कर रहा है, वह मार्ग निकटतम दूरी का होना अतिआवश्यक।

7. उक्त प्रकरण में धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता मौका निरीक्षण के लिए मैं स्वयं पीठासीन अधिकारी ने मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण पाया गया की आराजी खसरा संख्या 213, 214, 337/649 में पक्के मकान बनाये हुए है। व चार दीवारी कर रखी है। जो छोटेलाल, गिर्राज प्रसाद, पुत्रान ग्यारसा, प्रभूदयाल, मदनलाल, खैराती पुत्रान श्रवण जातियान कुम्हार के रिहायसी मकान बनाकर निवासरत है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि में पक्की शौचालय व पक्की दीवार करीब 7 फीट उचाई की बनाकर मिटटी से भरत कर रखा है। मौका निरीक्षण से पूर्व तहसीलदार टहला की दिनांक 21.11.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा भी स्पष्ट करता उक्त आराजी के खसरा नम्बरान में रिहायसी मकान बनाकर निवासरत है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि में पक्की शौचालय व पक्की दीवार करीब 7 फीट उचाई की बनाकर मिटटी से भरत कर रखा है। जिसमें होकर रास्ता दिया जाना सम्भव नही है। व प्रार्थी के द्वारा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नही चाहा गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ अस्वीकार/खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नही होने के कारण अस्वीकार/खारीज किया जाता है

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

यह आदेश आज दिनांक 19/01/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर